(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-III, खंड- 4 में **प्रकाशित**)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 170 **नई दिल्ली**, 09 जुलाई, 2010

<u>अधिसूचना</u>

महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतत्द्वारा, कांडला पत्तन स्थित इसके टर्मिनल में पोतों के लंगर डालने पर गैंगवे सुविधा प्रदान करने के लिए प्रभार निर्धारित करने हेतु एबीजी कांडला कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड से प्राप्त प्रस्ताव को इसके साथ संलग्न आदेश के अनुसार निपटाता है।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी/28/2009-एबीजीकेसीटीएल

एबीजी कांडला कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड ------- आवेदक

आ दे श

(जून 2010 के 16 वें दिन पारित किया गया)

यह प्रकरण कांडला पत्तन में एबीजी कांडला कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड (एबीजी केसीटीएल) में पोतों के लंगर डालने पर गैंगवे सुविधा प्रदान करने के लिए प्रभार निर्धारित करने हेतु एबीजी केसीटीएल से प्राप्त दिनांक 30 जुलाई 2009 के प्रस्ताव से संबंधित है ।

2 एबीजी केसीटीएल का वर्तमान दरमान इस प्राधिकरण द्वारा आदेश सं. टीएएमपी/43/2006-एबीजी केसीटीएल के माध्यम से अनुमोदित किया गया था और 26 अक्तूबर 2007 को अधिसूचित किया गया था । यह दरमान नवम्बर 2010 तक वैध है ।

3 एबीजी केसीटीएल द्वारा अपने प्रस्ताव में उठाए गए मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं:

(i) प्राधिकरण ने वर्तमान दरमान में पोत द्वारा अनुरोध किए जाने पर टर्मिनल के कंटेनर प्रहस्तन उपकरण तैनात करके तटीय तटीय गैंगवे लगाने के लिए प्रभार अनुमोदित किए हैं ।

(ii) आरम्भिक प्रस्ताव में, पोतों के लिए गैंगवे प्रदान करने के लिए प्रभार सम्मिलित नहीं किया गया था क्योंकि पोत एजेन्टों से अपेक्षा थी कि वे ये सेवा प्रदान करेंगे ।

(iii) कांडला पत्तन एक ज्वारीय पत्तन है और पोत पर उपलब्ध हाइड्रॉलिक गैंगवे को तटीय पहुंच के लिए चौबीसों घंटे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि भाटा के समय गैंगवे संरचना के पोतघाट से निरंतर टकराते रहने से गैंगवे के क्षतिग्रस्त होने की संभावना बहुत ज्यादा है । इसलिए, पोतों के पास इंसानों के पोत तक आने के लिए तटीय गैंगवे का उपयोग करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है ।

(iv) अभी तक, कांडला पत्तन में तटीय गैंगवे की व्यवस्था पोत प्रचालकों / एजेन्टों द्वारा आपूर्तिकर्त्ताओं से लेकर की जाती थी, वर्तमान आपूर्तिकर्त्ता द्वारा प्रदान की जा रही असंतोषजनक सेवाओं के कारण, पोत एजेन्ट टर्मिनल से टर्मिनल सेवाओं के भाग के रू प में ये सेवाएँ प्रदान करने का अनुरोध कर रहे हैं । पोत प्रचालकों से प्राप्त अनुरोध की एक प्रति प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत की गई है ।

(v) गैंगवे सेवाएं महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 के अंतर्गत भली भांति समाविष्ट है और टर्मिनल सेवाओं के रू प में इस सेवा के बारे में विचार करने पर कोई संदेह नहीं है ।

(vi) आस-पड़ौस अर्थात मुंद्रा पत्तन विआक्षे कंटेनर टर्मिनल और मुंद्रा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल (एमआईसीटी) के कंटेनर टर्मिनलों में गैंगवे सेवाएं प्रदान के लिए प्रदत्त दर अम.डालर 100 प्रतिदिन है ।

(vii) इस पृष्ठभूमि में एबीजी केसीटीएल पोतों द्वारा गैंगवे के उपयोग के लिए रू . 50/- प्रति घंटा प्रति गैंगवे अथवा रू . 1000/- प्रति कैलेंडर दिवस की दर प्रस्तावित करता है । यह दर, पड़ोसी कंटेनर टर्मिनलों में ली जा रही दर से बहुत कम है । इस राजस्व पर राजस्व भाग 48.997% की

दर से कांडला पत्तन को देय होगा जिसे प्रस्तावित दर के लेखा में लिया गया है । इसने बताया है कि उपयोगकर्त्ता इस समय, परिवहन समेत रू. 750/- प्रति कैलेंडर की दर से भुगतान कर रहे हैं ।

(viii) प्रतिमाह 20 पोतों के पत्तन पर दस्तक देने और पत्तन पर प्रत्येक पोत के औसतन 24 घंटे ठहरने के नवीनतम यातायात प्रोजैक्शनों के आधार पर इस प्रशुल्क मद से रू. 2,40,000/- के वार्षिक राजस्व की प्रत्याशा है ।

4.1 प्रदत्त परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार एबीजी केसीटीएल का प्रस्ताव कांडला पत्तन न्यास (केपीटी) और संबंधित उपयोगकर्त्ताओं और उपयोगकर्त्ता संगठनों को उनकी टिप्पणियाँ / अभ्युक्तियां मांगते हुए भेजा गया था ।

4.2 मुख्य उपयोगकर्त्ता एसोसिएशन कांडला पत्तन स्टीमशिप एजेन्ट्स एसोसिएशन ने गैंगवे सुविधा प्रदान करने के लिए प्रभार निर्धारित करने के लिए एबीजीकेसीटीएल के प्रस्ताव की सिद्धांतत: सराहना ही की है और प्रस्तावित दरों के प्रति अपनी ''अनापत्ति'' व्यक्त की है । अनुस्मारक भेजने के बावजूद केपीटी और अन्य उपयोगकर्त्ताओं / उपयोगकर्त्ता संगठनों की ओर से कोई टिप्पणी / अभ्युक्ति प्राप्त नहीं हुई है ।

5.1 एबीजी केसीटीएल के, इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरमान दिनांक 12 अक्तूबर 2007 के आदेश द्वारा केवल, पोत के अनुरोध पर, पोत के लांगर डालने पर गैंगवे रखने के लिए टर्मिनल का उपकरण उपयोग करने के लिए प्रभार प्रदान करते हैं । टर्मिनल प्रचालक द्वारा गैंगवे प्रदान करने के लिए वर्तमान दरमान कोई प्रभार प्रदान नहीं करते क्योंकि तटीय गैंगवे की व्यवस्था पोत एजेन्टों द्वारा आपूर्तिकर्त्ताओं से लेकर की जाती थी । एबीजी केसीटीएल द्वारा दाखिल प्रस्ताव टर्मिनल से तटीय गैंगवे प्रदान करने की माग प्रदान करते हुए पोत एजेन्टों द्वारा किए गए अनुरोध के विचार से है ।

5.2 चूंकि कांडला पत्तन न्यास या किसी अन्य उपयोगकर्त्ता / उपयोगकर्त्ता संगठन से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है और इस बात को मानते हुए कि कथित प्रस्ताव पोत एजेन्टों के अनुरोध पर है, जिन्होंने प्रस्तावित दरों का समर्थन कर दिया है, इस प्रकरण में संयुक्त सुनवाई का आयोजन करना आवश्यक नहीं समझा गया है ।

6. एबीजी केसीटीएल ने प्रस्तावित दरों के लिए कोई लागत गणना प्रस्तुत नहीं की है । एबीजी केसीटीएल ने बताया है कि तटीय गैंगवे प्रदान करने के लिए एक पड़ोसी पत्तन द्वारा (एक कैलेंडर दिन के लिए) सौ अमरीकी डालर लिए जाते हैं । (एबीजी केसीटीएल) में पोत द्वारा भुगतान किया जा रहा प्रभार कथित रू प से रू. 750/- प्रति (कैलेंडर) दिन है जिसमें परिवहन प्रभार भी शामिल हैं । यह मानते हुए कि मुख्य उपयोगकर्त्ता एसोसिएशन ने प्रस्तावित दरों का समर्थन कर दिया है और प्रदत्त सेवा उपयोगकर्त्ता के अनुरोध पर ऐच्छिक / वैकल्पिक होगी, यह प्राधिकरण लागत ब्यौरों के विस्तार में जाए बिना रू. 50/- प्रति घंटा प्रति गैंगवे की प्रस्तावित दर को अनुमोदन प्रदान करने का इच्छुक है क्योंकि इस दर पर सब की सहमति है और यह न्यायोचित भी जान पड़ता है । यहाँ यह स्पष्ट किया जाना है कि प्रदान की जाने वाली सेवा पोत / उपयोगकर्त्ताके अनुरोध पर वैकल्पिक / इच्छुक होगी और रू. 1000/- प्रति दिन (प्रति गैंगवे) की उच्चतम दर भी प्रदान की जाती है ।

7. तदनुसार, एबीजी केसीटीएल के वर्तमान दरमान में खंड-I के अन्तर्गत निम्नलिखित अनुसूची 1.13 डाली जाती है:-

''1.13 गैंगवे की आपूर्ति के लिए प्रभार:

इसके टमिर्नल पर पोत द्वारा लंगर डाले जाने पर एबीजी केसीटीएल द्वारा गैंगवे की आपूर्ति के लिए अधिकतम रू. 1000/- प्रति गैंगवे के अन्तर्गत रू. 50/- प्रति घंटा प्रभारित किया जायेगा ।

नोट:

संबंधित उपयोगकर्त्ता के अनुरोध पर प्रदान की जाने वाली यह एक वैकल्पिक सेवा होगी ।''

(रानी जाधव)
अध्यक्ष